



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18112020-223173
CG-MH-E-18112020-223173

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2020/कार्तिक 27, 1942

No. 498]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2020/KARTIKA 27, 1942

भारतीय रिजर्व बैंक

(विनियमन विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 18 नवम्बर, 2020

सं. विवि. 049/मुमप्र (एमएम)-2020.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एनसी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और पूर्व में 19 नवंबर 2019 को इस विषय पर जारी अधिसूचना संख्या विवि. 047/मुमप्र (एमएम)-2019 (19 नवंबर 2019 के भारत के राजपत्र के खंड 4 के असाधारण- भाग-तृतीय में प्रकाशित) का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट होकर कि यह किया जाना आवश्यक है, यह घोषणा करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 के 2) की धारा 45-आईए, 45-आईबी और 45-आईसी के प्रावधान ऐसे किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 के 53) की धारा 2 के खंड (डी) में परिभाषित आवास वित्त संस्थान है।

मनोरंजन मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./367/2020-21]

RESERVE BANK OF INDIA**(Department of Regulation)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 18th November, 2020

No. DOR.049/CGM(MM)–2020.—In exercise of the power conferred by section 45-NC of the Reserve Bank of India Act, 1934, and in supersession of the earlier notification No. DOR. 047/CGM (MM)-2019 dated 19th November, 2019 (published in Extraordinary- Part III – Section 4 of the Gazette of India dated 19th November 2019) on the subject, the Reserve Bank of India, on being satisfied that it is necessary to do, hereby declares that the provisions of Sections 45-IA, 45-IB and 45-IC of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) shall not apply to a non-banking financial company which is a Housing Finance Institution as defined in clause (d) of section 2 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987).

MANORANJAN MISHRA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./367/2020-21]